

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई एण्ड टी डब्ल्यू)

क्र.जे.पी.डी/मु.अ.(आर.ई एण्ड प्लान)/अ.अ/(आर.ई.एण्ड टी डब्ल्यू)/प.1201/प्रे 1339 दिनांक 31.08

आदेश

विषय - वर्ष 2009-10 में द्वितीय चरण के मांग पत्र जारी करने के क्रम में।

निगम से जारी आर.ई.ओ-205 दि. 20.03.09 में कृषि कनेक्शन जारी करने हेतु 50 प्रतिशत मांग पत्र 15 अप्रैल, 2009 से 30 अप्रैल, 2009 तक जारी करने का प्रावधान किया गया था, जो जारी किये जा चुके हैं।

द्वितीय चरण के मांग पत्र जारी करने के सम्बन्ध में आर.ई.ओ-206 दि. 1.07.09 के अनुसार दिनांक 15.09.09 से 30.09.09 तक जारी करने तथा 90 दिन की मांग पत्र के जमा होने की अवधि 31.12.09 तक जमा मांग पत्रों के 1/3 कनेक्शन जनवरी, 2010 में, 1/3 कनेक्शन फरवरी, 2010 में तथा बकाया 1/3 कनेक्शन मार्च, 2010 में जारी करने के आदेश जारी किए गए थे।

वर्तमान में विद्युत निगमों में कनेक्शन जारी करने हेतु सामान की उपलब्धता सीमित मात्रा में होने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि उक्त द्वितीय चरण में जारी करने वाले मांग पत्र अब अग्रिम आदेशों तक जारी नहीं किए जायें।

उक्त आदेश तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों पर लागू होंगे।

(एम.एल.गुप्ता)

मुख्य अभियन्ता (आर.ई एण्ड प्लान)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-उर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
- 2-प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर को उक्त प्रकार के आदेश जारी करने हेतु ।
- 3-निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
- 4-मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
- 5-सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर/कोटा जोन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/कोटा
- 6-प्रादेशिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
- 7-अधीक्षण अभियन्ता (पवल/जे.सी.सी./जे.पी.डी.सी./प्लान/विधि) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. ।
- 8-अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/पीपीएण्डएम) अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर ।